(ख) और (ग) इस समय देवनागरी टाइपराइटरों, हिन्दी टंककों और हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या अंग्रेजी में इनकी संख्या की तुलना में कम है। परन्तु मंत्रालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मंत्रालय के व्यय विभाग ने 25 नए देवनागरी टाइपराइटर खरीदे हैं। हिन्दी में अप्रशिक्षित टंककों तथा आशुलिपिकों को प्रशिक्षण संस्थानों में स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में प्रशिक्षण के लिए काफी संख्या में नामित किया जा रहा है तथा अगले पांच वर्षों में प्रशिक्षित कराने के उपाय किए जा रहे हैं।

हिन्दी भाषा का प्रसार

796. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री रामचन्द्र विकल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णतः अवहेलना करते हुये अंग्रेजी रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिन्टरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिन्दी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और जहां भी टेलेक्स मशीनें लगाई गई हैं वहां से एक भी तार हिंदी में नहीं भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टंकन यंत्रों आदि की तुलना में देवनागरी के टंकन यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं बराबर है जबकि उनकी संख्या 50 होनी चाहिए थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण और हिन्दी भाषा के प्रसार के लिये नये कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

राजभाषा अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी अथवा दोनों के प्रयोग के क्षेत्रों का उल्लेख है किन्तु इलेक्ट्रानिकी एवं यांत्रिक सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रारम्भ में कंप्यूटर, टेलेक्स मशीन और टेलीप्रिंटर रोमन में ही उपलब्ध थे इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हीं का प्रयोग संभव था। किन्तु तत्पश्चात् कंप्यूटर व टेलीप्रिंटर की सुविधायें सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप देवनागरी में भी मिलने लगीं। यह देखते हुए राजभाषा विभाग ने यह निदेश जारी किए कि द्वि-भाषी कंप्यूटरों, शब्द संसाधकों, डेटा एन्ट्री उपकरणों आदि को ही केन्द्र सरकार में खरीदा जाए। तारघरों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है। किन्तु यह सत्य है कि टेलेक्स मशीनों के नेटवर्क पर रोमन में संदेश न भेजने की सुविधा अनुपलब्ध होने के कारण टेलेक्स मशीनों पर संदेश रोमन में ही भेजे जाते हैं। इस संबंध में सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ ही समय में द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध हो सकेंगे व दो द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टेलिप्रिंटरों के बीच रोमन व देवनागरी के संदेश भेजने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) यह सत्य नहीं है कि "क" क्षेत्र में देवनागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए थी। राजभाषा विभाग ने "क" क्षेत्र में खरीदे जाने वाले टंकण यंत्रों का अनुपात वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित किया था जिसके फलस्वरूप उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। टंककों एवं आशुलिपिकों के भी अनुपात को प्रशिक्षण अथवा सीधी भर्ती द्वारा पूरा करने के निदेश राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए है व उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यह भी सत्य नहीं है कि "क" क्षेत्र में

टंकण यंत्रों, टंककों एवं आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है। यह संख्या हिन्दी में प्रशिक्षित टंककों एवं आशुलिपिकों की संख्या के अनुरूप में है। सरकार इस संख्या को "क" क्षेत्र में हिन्दी में निर्धारित काम को देखते हुए बढ़ाने के लिए यथा संभव प्रयत्न कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है :—

राजभाषा विभाग इलेक्ट्रानिकी विभाग के साथ समन्वय कर विभिन्न कार्यालयों में द्विभाषी कंप्यूटर एवं साफ्ट-वेयर के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस समय बाजार में बहुत से शब्द संसाधकों के पेकेज उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य हो सकता है। जहां तक कि ऐसे प्रोग्राम लिखने की भी सुविधा उपलब्ध है, जिन पर कि द्विभाषी रूप में आंकड़ों का विश्लेषण हो सकता है। देवनागरी में इलेक्ट्रानिकी उपस्करणों के विकास तथा प्रयोग की समीक्षा इस विभाग में एक मंत्री-स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। द्विभाषी टेलीप्रिंटर के विकास के लिए राजभाषा विभाग ने हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर को दस लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए हैं। विभाग ऐसी संस्थाओं तथा कार्यालयों के प्रति विशेष ध्यान दे रहा है, जो इन उपकरणों का अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं। टंककों का अनुपात "क" क्षेत्र में मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और अन्य कार्यालयों के लिए यह 50 प्रतिशत है। इसी तरह यही अनुपात 'क' क्षेत्र के आशुलिपिकों पर भी लागू होता है। टंकण यंत्रों के संबंध में भी यही अनुपात लागू होता है। पहला अनुपात केवल नये खरीदे गये यंत्रों पर ही लागू होता था, लेकिन वर्तमान आदेशों में अनुपात कुल संख्या पर लगाया गया है। जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। आशुलिपिकों के अनुपात में कमी को 31.3.1990 तक पूरा किया जाना है तथा टंककों के अनुपात में कमी को 31.3.1989 तक भरना होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित कार्यालयों में 1.4.1988 से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हिन्दी में भेजे गये पत्रादि के उत्तरों के मसौदे हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे।

टिप्पण और आलेखन के लिए "क" क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता 50 हजार शब्दों से घटा कर 20 हजार शब्द कर दी गई है। इससे अनेक ऐसे व्यक्तियों को देवनागरी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिनके लिए 50 हजार शब्द लिखना कठिन था।

Opening of New Branches of Banks

797. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have a proopsal to open new branches of nationalised banks in the country;

(b) if so, what is the number of such new branches propsed to be opened in different States in 1988-89 financial year (Bankwise); and

(c) how many branches of those banks have been opened in different States as on 30th June, 1987?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) Opening branches by commercial banks is ongoing process. On the basis lists of identified centres receiv from the State Governments, Ri